



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 27 अगस्त, 1974

भाद्रपद 5, 1896 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2760/17-दि-1--55-74

लखनऊ, 27 अगस्त, 1974

अधिसूचना  
द्विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ( प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन ) विधेयक, 1974 पर दिनांक 25 अगस्त, 1974 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1974 के रूप में स्वसाधारण की सूचनायें स अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ( प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन ) अधिनियम, 1974

( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1974 )

( जैसा कि उ० प्र० विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ )

राज्य लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया का विनियमन तथा उसके कार्य-संचालन की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ( प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन ) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—(1) राज्य लोक सेवा आयोग ( जिसे प्रागे आयोग कहा गया है ) का अध्यक्ष, राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से आयोग की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिये नियम बना सकता है।

लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त नियमों में आयोग के कार्यों का सुकर संपादन करने तथा उसके सदस्यों ( जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ) और अधिकारियों में उक्त कार्यों के आवंटन की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) अध्यक्ष, यदि वह लोक हित में उचित समझे, यह निदेश दे सकता है कि उक्त नियम अथवा उसका कोई भाग प्रकाशित नहीं किया जायगा।

3—आयोग के आदेश तथा निर्णय ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे राज्यपाल सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदिष्ट करे, प्रमाणित किये जायेंगे, और किसी ऐसे आदेश या निर्णय की, जिसे इस प्रकार प्रमाणित किया जाय, विधिभंग्यता पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि यह आयोग द्वारा दिया गया आदेश अथवा निर्णय नहीं है।

आयोग के आदेशों तथा निर्णयों का प्रमाणिकरण

No. 2760(2)/XVII-V-1—55-74

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Lok Seva Ayog (Prakriya Ka Vinayaman Tatha Karya Sanchalan) Adhinyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 26 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 25, 1974 :

**THE UTTAR PRADESH STATE PUBLIC SERVICE COMMISSION  
(REGULATION OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS)  
ACT, 1974**

[U. P. ACT NO. 26 OF 1974]

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN  
ACT

*to provide for the regulating of the Procedure of the State Public Service  
Commission and the Conduct of its Business*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

**Short title**

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure and Conduct of Business) Act, 1974.

*Regulation  
of Procedure  
and Conduct  
of Business of  
the Public  
Service Com-  
mission.*

2. (1) The Chairman of the State Public Service Commission (hereinafter referred to as the Commission) may, with the previous approval of the Governor, make rules for the regulation of the procedure of the Commission.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, the said rules may provide for the convenient transaction of the business of the Commission and for the allocation among its members (including the Chairman) and officers of the said business.

(3) The Chairman may, if he thinks fit in the public interest, direct that the said rules or any part thereof shall not be published.

*Authentica-  
tion of orders  
and decisions  
of Commis-  
sion.*

3. Orders and decisions of the Commission shall be authenticated in such manner and by such person as the Governor may by notification in the Official Gazette specify, and the validity of an order or decision which is so authenticated shall not be called into question on the ground that it is not an order or decision made by the Commission.

आज्ञा से,  
कैलाश नाथ गोयल,  
सचिव ।